



दिनांक 01.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति 01/2024

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना शेरगढ़

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल, उपचार के दौरान मृत

● 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

● 01 पिस्टल, मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 01.06.2024 को थाना शेरगढ़ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दलौता से सेई रोड अगरयाला की तरफ बंबा की पटरी पर मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज उर्फ उत्तम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 पिस्टल, मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान चिकित्सकों ने घायल अभियुक्त मनोज उर्फ उत्तम को मृत घोषित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। मृत अभियुक्त जनपद मथुरा से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1-मनोज उर्फ उत्तम निवासी ग्राम मई थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

## बरामदगी

1-01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2-01 पिस्टल, मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस।

### कमिश्नरेट आगरा/थाना कमलानगर

● पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त  
गिरफ्तार

● लूट के 02 सोने के चैन

● चोरी की 01 दो पहिया वाहन

● 2210/-रुपये नगद

● 01 मोबाइल फोन

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 31.05.2024 को थाना कमलानगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना पुल के नीचे पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 सोने के चैन, चोरी की 01 दो पहिया वाहन, 2210/-रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलानगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कमलानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1-सोनू निवासी पूर्व सिर की मंडी लोहा मंडी थाना लोहा मंडी, आगरा वर्तमान पता-परिक्रमा मार्ग सेवाकुंज के बराबर वाली गली नई बस्ती थाना वृंदावन, मथुरा।

## बरामदगी

- 1-लूट के 02 सोने के चैन।
- 2-चोरी की 01 दो पहिया वाहन।
- 3-2210/-रूपये नगद।
- 4-01 मोबाइल फोन।
- 5-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित  
02 अभियुक्त गिरफ्तार

### ● 01 कार

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 01.06.2024 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासमपुर-भुम्मा रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-रियासत 2-शादाब घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रियासत थाना मीरापुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त रियासत के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग व अभियुक्त शादाब के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—रियासत निवासी गहराबाग खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—शादाब निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

### बरामदगी

1—01 कार।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

### जनपद कन्नौज/थाना तिर्वा

#### ● 04 अभियुक्त गिरफ्तार

#### ● चोरी की घटना का अनावरण

#### ● चोरी का 01 लैपटाप, 02 टैबलेट

#### ● चोरी के 13 हजार 500 रुपये नगद

#### ● 03 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक: 01.06.2024 को थाना तिर्वा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सुख्खापुरवा से 04 अभियुक्तों 1—विवेक कुमार 2—शिवम कुमार उर्फ टाटा 3—अर्पित कुमार 4—करन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 लैपटाप, 02 टैबलेट, चोरी के 13 हजार 500 रुपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 03.05.2024 को थाना तिर्वा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिर्वा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तिर्वा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विवेक कुमार निवासी सुख्खापुरवा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।
- 2-शिवम कुमार उर्फ टाटा निवासी ग्राम करसहा थाना ठठिया जनपद कन्नौज।
- 3-अर्पित कुमार निवासी ग्राम सरसई (औसेर) थाना ठठिया जनपद कन्नौज।
- 4-करन निवासी ग्राम करसहा थाना ठठिया जनपद कन्नौज।

### बरामदगी

- 1-चोरी का 01 लैपटाप, 02 टैबलेट।
- 2-चोरी के 13 हजार 500 रुपये नगद।
- 3-03 मोबाइल फोन।

### कमिश्नरेंट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-63

- धोखाधड़ी के 09 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 05 लाख 26 हजार रुपये नगद
- 02 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक: 31.05.2024 को थाना सेक्टर-63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी के 09 अभियुक्तों 1-शिवकुमार 2-रवि सागर 3-कुरुमूर्ति 4-प्रकाश कुमार 5-शेखर 6-श्रीकान्त 7-राजशेखर 8-वेंकटेश 9-साई कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 05 लाख 26 हजार रुपये नगद, 02 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-शिवकुमार निवासी ग्राम अहिया चक थाना कटरी सहाय जनपद नालन्दा।
- 2-रवि सागर निवासी टीचर्स कालोनी थाना महबूबनगर तेलंगाना।
- 3-कुरुमूर्ति निवासी टीचर्स कालोनी थाना वनटाउन जनपद महबूबनगर, तेलंगाना।
- 4-प्रकाश कुमार निवासी संता बाजार वन टाउन थाना वनटाउन जनपद महबूबनगर, तेलंगाना।

- 5-शेखर निवासी सिद्धार्थ एन्कलेव नियर गुडलक पब्लिक स्कूल द्वारका मोड़ नई दिल्ली।
- 6-श्रीकान्त निवासी टीचर्स कालोनी थाना वनटाउन जनपद महबूबनगर, तेलंगाना।
- 7-राजशेखर निवासी कढियारम चौरसका थाना वनटाउन जनपद महबूबनगर, तेलंगाना।
- 8-वेंकटेश निवासी टीचर्स कालोनी थाना वनटाउन जनपद महबूबनगर, तेलंगाना।
- 9-साई कुमार निवासी टीचर्स कालोनी थाना वनटाउन जनपद महबूबनगर, तेलंगाना।

### बरामदगी

- 1-धोखाधड़ी के 05 लाख 26 हजार रुपये नगद।
- 2-02 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन आदि।

### जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी

#### ●02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 15 लाख 60 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 130 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

दिनांक: 01.06.2024 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रहपुरा रोड पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1-रिजवान 2-तसलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख 60 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 130 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रिजवान निवासी ग्राम परौरा थाना मीरगंज जनपद बरेली।
- 2-तसलीम निवासी रबर फैक्ट्री कालोनी थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

### बरामदगी

- 1-लगभग 15 लाख 60 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 130 ग्राम अवैध स्मैक।

- जनपद रायबरेली/थाना महाराजगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना महाराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—लाला उर्फ संजय 2—अजय 3—राजेश को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद रायबरेली/थाना भदोखर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना भदोखर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सगीर अहमद उर्फ पंचम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

-----